न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई0ए0एस)

प्रकरण संख्या 09/2022

बउनवान

गोबरीलाल पुत्र गणेशराम जाति बैरवा निवासी पचेलकलां तहसील अंता, जिला बारां (राज0)

(अपीलांट)

बनाम

1. रामदेवा पुत्र गोपाल, जाति बैरवा, निवासी पचेलकलां
2. रामनरेश पुत्र गोपाल, जाति बैरवा, निवासी पचेलकलां
3. दाखांबाई पुत्री गोपाल, जाति बैरवा, निवासी पचेलकलां
4. शांतिबाई पुत्री गोपाल, जाति बैरवा, निवासी पचेलकलां
5. रघुनाथीबाई पत्नि स्व0 गोपाल जाति बैरवा, निवासी पचेलकलां, तहसील अन्ता जिला बारां (राज0) (मृतक) **(डिलीट ओदश दि0 28.09.2022 से)**
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अन्ता, जिला बारां (राज0)

(रेस्पोंडेंट्स)

अपील अर्न्तगत धारा 225 आर0टी0एक्ट

उपस्थिति :– 1. श्री विजय गौतम अभिभाषक (अपीलांट)

2. श्री ओम मेहता III अभिभाषक **(रेस्पो. कम 1, 3 ता 4)**

निर्णय दिनांक 13.12.2022

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक तहसीलदार अन्ता के प्रार्थना पत्र संख्या 08/2019 बउनवान रामदेवा वगैरह बनाम गोबरीलाल में पारित निर्णय दिनांक 09.02.2022 अन्तर्गत धारा 183 बी आर.टी.ए. के विरूद्ध अपील इस आशय की पेश की कि अपीलांट के पैत्रक एवं खाते की ग्राम पंचेलकलां तहसील अन्ता में स्थित आराजी जमाबंदी सम्वत् 2035–38 अनुसार आराजी खसरा नंबर 1420/1131 रकबा 20 बीघा, हाल खसरा नंबर 1163/1659 रकबा 3.22 है. को सेटलमेन्ट विभाग द्वारा सिवायचक बिना वैधानिक नौटिस दर्ज कर दिया गया। उक्त आराजीयात सम्वत् 2035–38 में मोडूलाल व भैरूलाल पिसरान छीताराम एवं गोबरीलाल पुत्र गणेशराम संयुक्त खातेदार थे, जो उक्त आराजियात पर काबिज काश्त थे। वर्तमान में अपीलांट व अपीलांट के वारिसान एवं अन्य सहखातेदारों के वारिसान भैरूलाल पुत्र छीताराम, मुकेश पुत्र प्रभूलाल, सरेन्द्र पुत्र प्रभूलाल, छोटूलाल पुत्र प्रभूलाल, जीतू पुत्र प्रभूलाल, कंचनबाई बेवा प्रभूलाल मुकुटबिहारी पुत्र रमेशचन्द्र, महेन्द्र कुमार पुत्र रमेशचन्द्र, रामप्यारी बेवा रमेशचन्द्र, बाबूलाल पुत्र मोडूलाल, रामबिलास पुत्र मोडूलाल व अपीलांट जातियान चमार निवासीगण पंचेलकलां, काबिज काश्त हैं तथा पारिवारिक समझौता के तहत 50 साल से अधिक समय से काबिज है। अपीलांट को सेटलमेन्ट विभाग द्वारा संयुक्त परिवार की सम्पत्ति राजस्व रिकार्ड मे सिवायचक दर्ज करने पर अपीलांट के द्वारा सक्षम न्यायालय उपजिला कलेक्टर महोदय अन्ता में प्रार्थना पत्र दिनांक 19.09.2017 को प्रस्तुत किया जिसमे अपीलांट के संयुक्त खाते की आराजी व उसके वारिसानों को ग्राम पचेलकलां की आराजी 1163/1659 रकबा 3.22 हेक्टेयर पर राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाने हेतु आगामी आदेश दिनांक 25.05.2022 तक यथावत रखने का अंकित किया, जिसमें रेस्पो. को भी पक्षकार बनाया गया तथा सक्षम न्यायालय तहसीलदार अंता को भी उक्त आराजी पर रिकार्ड व मौका मे फेरबदल नही करने हेतु निर्देशित किया। अपीलांट एवं रेस्पो0 दोनो समान जाति के व्यक्ति होने के कारण एवं पूर्व मे प्रकरण संख्या 77/2017 जेरकार होने के कारण तहसीलदार अंता ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.01.02 13:18:51 IST
Reason: SelfAttested

दस्तावेजों का बिना अवलोकन किये कब्जें के आधार पर 09.02.2022 को निर्णय पारित किया जो निरस्तनीय है। उक्त आराजी सेटलमेन्ट से पूर्व खसरा नं. 1420/1131 रकबा 20 बीघा जिस पर खातेदारान ने किसी प्रकार का बंटवारा नही हुआ है क्योंकि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा सिवायचक दर्ज की गई है लेकिन पारिवारिक मौखिक समझौते के अनुसार गोबरीलाल के अलावा संयुक्त परिवार के अन्य कई व्यक्ति काबिज है पटवारी, निरीक्षक बालाखेडा के द्वारा ग्राम पचेलकलां की भूमि पैमाईश एक तरफा की गई उक्त पैमाईश पर संयुक्त परिवार के अन्य खातेदार काबिज थे उनको पक्षकार नही बनाया गया है। उक्त आराजी 183(बी) एक ही जाति के व्यक्ति आर.टी.एक्ट के अन्तर्गत नही आती है रेस्पो0 को साबिक खसरा नं. 1420/1131 रकबा 20 बीघा जब सिवायचक दर्ज कर दी गई तो रेस्पो0 को आवंटित की गई आवंटन होने के बाद मौके पर तथा हाल में रेस्पो. का कब्जा नही है तथा दखल भी नही दिया गया है। वर्तमान में वह स्वयं न्यायालय तहसीलदार के यहां धारा 183 बी के अन्तर्गत अपना दखल मांग रहा है ऐसी स्थिति में आवंटन पूर्णतया अवैध व शून्य है तहसीलदार ने धारा 63 (4) के अन्तर्गत दखल व कब्जा की रिपोर्ट बिना गैर खातेदारी दर्ज किये राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया इसलिये कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। रेस्पो0 ने तहसीलदार के यहां तथ्य को छिपाकर व राजस्व अधिकारियों के द्वारा साबिक रिकार्ड की जानकारी न देने पर तथा तहसीलदार अंता को 09.02.2022 के निर्णय मे पक्षकार होते हुये निर्णय पारित करने का अधिकार नही था जबकि सक्षम न्यायालय मे प्रकरण संख्या 77/2017 मे भैरूलाल बनाम राजस्थान सरकार मे तहसीलदार को तथा रेस्पो0 को पक्षकार बना रखा है ऐसी स्थिति में निर्णय करना पूर्णतया अवैध है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर दिनांक 09.02.2022 तहसीलदार अन्ता के निर्णय को उपजिला कलेक्टर अंता मे प्रकरण सं0 77/2017 का निर्णय जब तक न हो तब तक एडजोर्न करने की कृपा करे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेंटगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेंट क्रम 1, 3 ता 4 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहसीलदार अन्ता द्वारा प्रकरण संख्या 08/2019 बउनवान रामदेवा वगैरह बनाम गोबरीलाल में पारित निर्णय दिनांक 09.02.2022 अन्तर्गत धारा 183 बी आर.टी.ए. विधि विरूद्ध निर्णित किया गया है। उक्त आराजीयात गोबरीलाल की पैतृक सम्पत्ति है। उक्त आराजी के साबिक खसरा नंबर 1420/1131 रकबा 20 बीघा थे, सेटलमेन्ट विभाग द्वारा हाल खसरा नंबर 1163/1659 रकबा 3.22 है. कायम किये जाकर आराजीयात को सिवायचक दर्ज कर 2–2.5 बीघा का आवंटन रामदेवा को कर दिया गया। अपीलांट द्वारा न्यायालय उपजिला कलेक्टर अंता में प्रकरण सं0 77/2017 दिनांक 19.09.2017 को प्रस्तुत किया, जो वर्तमान में जैरकार है, जिसमे न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाने हेतु आदेशित किया गया है। उक्त वाद में रेस्पो. रामदेवा तथा तहसीलदार अन्ता को भी पक्षकार बनाया गया है। तहसीलदार अन्ता द्वारा इस प्रकरण में जवाब पेश नहीं किया गया है। तहसीलदार अन्ता ने अपीलांट आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया। उक्त आराजी पर रेस्पोडेन्टगण का कभी कब्जा नहीं रहा। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार साहब अंता के निर्णय को उपजिला कलेक्टर अंता मे प्रकरण सं0 77/2017 का निर्णय जब तक न हो तब तक एडजोर्न करने का आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.01.02 13:28:51 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट रामदेवा के पिता गोपाल को आराजी खसरा नंबर 1093 रकबा 0.34 हैक्टर आंवटित हुई। जिस पर अपीलांट द्वारा कब्जा कर लिया गया।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)
न्यायालय जिला कलेक्टर

अपीलांट ने उक्त आवंटन को निरस्त कराने हेतु कोई कार्यवाही नही की। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज फरमावें।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा यह अपील ग्राम पचेलकलां की गत आराजी खसरा नंबर 1420/1130 रकबा 23 बीघा जिसके हाल खसरा नंबर 1163/1659 रकबा 3.22 है. कायम किये जाने पर उक्त भूमि को सेटलमेंट विभाग द्वारा गलत रूप से सिवायचक दर्ज करना तथा उक्त भूमि पर कब्जा काश्त होना तथा उक्त भूमि रामदेवा वगै. को सिवायचक दर्ज होने के पश्चात आवंटित करना तथा आवंटन होने के बाद मौके पर तथा हाल में रेस्पो. रामदेवा का कब्जा नही होने व दखल नही दिया जाना बताया है तथा यह भी अंकित किया है कि भूमि सिवायचक दर्ज करने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अन्ता में प्रकरण संख्या 77/2017 दिनांक 19.09.2017 को प्रस्तुत किया जिसमें खसरा नंबर 1163/1659 रकबा 3.22 है. के राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाने हेतु आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत् 2073–75 से स्पष्ट है कि आराजी खसरा नंबर 1093 रेस्पोडेन्ट की खातेदारी में दर्ज है। उक्त खसरा बाबत् ही प्रार्थना पत्र धारा 183 बी आरटीए अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया, जिसमें भू. अभिलेख निरीक्षक, पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 25.06.2020 के अनुसार "हाल जमाबंदी ग्राम पंचेलकलां भूमि खसरा नंबर 1093 रकबा 0.34 है. किस्म नहरी–2 वादीगण रामदेवा, रामभरोस पुत्र गोपाल, दाखां, शान्ति पुत्रियां गोपाल रघुनाथी पत्नि स्व. गोपाल जाति बैरवा नि. पचेलकंला के नाम दर्ज है। उक्त खसरा नंबर की पूर्व में दो बार पैमाईश की जा चुकी है, जिससे प्रार्थी सुन्तष्ट है किन्तु इस खसरा नंबर पर अप्रार्थी मोबरीलाल पुत्र गणेशराम, जाति बैरवा सा. देह का कब्जा काश्त है। जिस पर कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी ने न्यायालय तहसीलदार अन्ता में दावा कर रखा है।"

इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर आराजी खसरा नंबर 1093 रकबा 0.34 है. से अपीलांट को बेदखल करने का निर्णय पारित किया। आराजी खसरा नंबर 1163/1659 के संबंध में दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अन्ता में विचाराधीन है जिसमें न्यायालय द्वारा राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने का अंतरिम स्थगनादेश पारित किया है। परन्तु आराजी खसरा नंबर 1093 के संबंध में कोई आदेश पारित किया जाना नही पाया जाता। चूंकि उक्त भूमि रेस्पोडेन्टस की खातेदारी में दर्ज है। तथा अपीलांट उक्त भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कोई त्रुटि होना नहीं पाई जाती है तथा अपीलांटगण की अपील सारहीन पाई जाती है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट्स सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर, सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर बारां

जिला कलक्टर बारां (राज.)

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.01.02 13:18:51 IST
Reason: SelfAttested